कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./संपत्ति/ जबलपुर, दिनांक / /2023

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में गैरिज/फ्लेट क्रय करने का सुनहरा अवसर

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

क्र	योजना क्रमांक	गैरिज/फ्लेट संख्या (नग)	भू–उपयोग	साईट विजिट हेतु संपर्क
1	05. डीडी–कॉम्प्लेक्स, विजयनगर	03 (फ्लैट)	आवासीय	श्री रवीनद्र तिवारी, मो.नं.–9479449494
2	05. डीडी–कॉम्प्लेक्स, विजयनगर	09 (गैरिज) फ्लैट धरियों के लिए आरक्षित	आवासीय	श्री रवीनद्र तिवारी, मो.नं.–9479449494

आवेदन की अवधि	31.05.2023 से 29.06.2023
बिड डालने की अंतिम तिथि	30.06.2023
ऑफर खुलने की तिथि	03.07.2023 (दोप. 03:00 बजे)

उपरोक्त विक्रय हेतु विज्ञापित गैरिज/फ्लेट से संबंधित नियम एवं शर्तों की समस्त जानकारी प्राधिकरण की बेवसाइट www.jdajabalpur.org पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत ही www.vikaspradhikaran.mponline.gov.in के माध्यम से फ्लैट/गैरिज क्रय करने हेतु ऑफर-आवेदन करें।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर

पृ.क./ संपत्ति / 1259-2 जबलपुर दिनांक 30/5/2023

प्रतिलिपि:-
1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा, जबलपुर को, मान. अध्यक्ष महोदय को अवगत् कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक महोदय दैनिक .... समाचार पत्र को अपने अंक दिनांक .... में साईज .... में प्रकाशन हेतु।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री श्री .... जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को न्यूनतम् स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
5. कम्प्यूटर शाखा, जविप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
6. लेखाधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।
7. सम्भागायुक्त कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।
8. कलेक्टर कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।
9. निगमायुक्त, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/1259 जबलपुर, दिनांक 30/5/2023

ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की निम्नानुसार सम्पत्तियों के यथास्थिति विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल **www.vikaspradhikran.mponline.gov.in** पर आमंत्रित किये जाते हैं। सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	सम्पत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (व.फु. मे) (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय दर (रू.)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10 % (केवल व्याव. हेतु **GST** सहित)
योजना क्र. 05 डीडी कॉम्प्लेक्स (फ्लैट) यथास्थिति						
1	ब्लाक-ए-1/तृतीय तल T-8 एवं T-9	आवासीय	854 वर्गफुट	अनारक्षित	2,137,500	213,750
2	ब्लाक-ए-1/तृतीय तल T-11	आवासीय	854 वर्गफुट	अनारक्षित	2,137,500	213,750
3	गैरिज-(9नग) 7,8,9,10,11,12,13 ,16,21	गैरिज फ्लैट धरियों के लिए आरक्षित	148.49 वर्गफुट	अनारक्षित	608,000	60,800

<u>प्रक्रिया</u>:– 1. योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल **www.jdajabalpur.org** एवं **www.vikaspradhikran.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। 2. ऑनलाईन आवेदन फार्म रु. 1000.00 एवं जीएसटी 180.00 पोर्टल फीस ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर दिनांक **31.05.2023** से **29.06.2023** सायं 05 बजे तक तक क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं। बिड दिनांक **30.06.2023** सायं 05 बजे तक सबमिट की जा सकती है।
2. बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 7 में अंकित बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑफर दिनांक **03.07.2023** को ऑनलाईन ही उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष **दोपहर 3:00** बजे प्राधिकरण कार्यालय में खोले जावेंगे।

<u>अन्य नियम एवं शर्तें</u>:– (1) संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि पर निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक भूभाटक के रूप में देय होगी। (2) <u>सम्पत्ति क्रय हेतु ऑनलाईन ऑफर आवेदन स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही सबमिट करें, तत्पश्चात कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।</u> (3) किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर आवेदन मान्य नहीं होगा। (4) आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एव शपथ–पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। (5) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा जाति प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ की मूल प्रति कार्यालय मे अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (6) संपत्ति की शेष राशि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना होगी, एकमुश्त राशि जमा न की जाने एवं आवंटी की मांग पर अधिकतम 8 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदाय की जावेगी तथा ऐसी किस्तों पर 10 प्रतिशत दर से वार्षिक ब्याज देय होगा। (7) किस्त राशि विलंब से जमा करने पर विलंबित अवधि पर 10 प्रतिशत दर से पृथक से ब्याज भी देय होगा। व्यावसायिक सम्पत्ति की प्रीमियम राशि, विलंब ब्याज राशि एवं भूभाटक राशि इत्यादि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. पृथक से देय है। (8) राशि समयसीमा में जमा न करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रीमियम राशि में से नियमानुसार कटौती उपरांत शेष बची राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी, ब्याज सहित वापिसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। (9) क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हों। (10) <u>विस्तृत नियम एवं शर्ते</u> ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर–आवेदन करें। (11) ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित सम्पत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (12) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय–समय पर जारी शासनादेश,अनुबंध तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्ते आवेदक को मान्य होंगी। (13) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। (14) संपत्ति मे प्रीमियम के अलावा निर्धारित वांछित रखरखाव/प्रशासकीय शुल्क इत्यादि के भुगतान करने हेतु भी आवंटी बाध्य होंगे। (15) उच्चतम बोलीकर्ता के अतिरिक्त अन्य बोलीकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि ऑफर खोले जाने की दिनांक से 30 कार्यदिवस में संबंधित बोलीकर्ता के बैंक खाते में वापिस (रिफण्ड) कर दी जावेगी किन्तु आवेदन शुल्क वापिस (रिफण्ड) वापस नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
जबलपुर विकास प्राधिकरण
जबलपुर

पृ.क./जविप्रा/ जबलपुर दिनांक / /2023